(बी) यदि बीमाधारक की जरुरत हो तो भूकंप/एफ एस टी के जोखिम के लिए भी पॉलिसी में, अग्नि टैरिफ के अनुसार अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर शामिल किया जा सकता है ।

(सी) इस पॉलिसी के अंतर्गत केवल अनुभाग 4 और 1 के अनुसार ही आवरण है और अनुभाग 2 और 3 का कोई आवरण नहीं है । यदि प्रस्तावक को आवश्यकता हो तो इस पर विचार किया जा सकता है ।

(डी) यदि दावा अनुपात अनुकूल हो तो, दावा मुक्ति छूट प्रदान की जा सकती है ।

2. दर निर्धारण

बाजार अनुबंध के अंतर्गत चालू प्रीमियम संरचना इस प्रकार है :

अनुभाग - 1

बीमित राशि	वर्ग 1	वर्ग 2	वर्ग 3
(ए) रु. 1 करोड़ तक	0.25%	0.35%	0.50%
(बी) रु. 1 करोड़ से अधिक रु. 5 करोड़ तक (रु. 25 लाख से अधिक के आधिक्य पर)	0.20%	0.30%	0.45%
(सी) रु. 5 करोड़ से अधिक (रु. 50 लाख से अधिक आधिक्य)	0.175%	0.275%	0.425%
(डी) रु. 10 करोड़ से अधिक के आधिक्य पर	0.15%	0.25%	0.40%

वर्ग 1 का अर्थ है : सभी सारणीबद्ध परिसरों पर 24 घंटे के लिए नियुक्त चौकीदार

वर्ग 2 का अर्थ है : बिल्डिंग के लिए एक ही (सभी के लिए) चौकीदार अथवा रात्रि चौकीदार

वर्ग 3 का अर्थ है : अन्य सभी

विशेष टिप्पणी : जिन परिसरों में विशेष सुरक्षा संयंत्र अथवा विशेष सुरक्षा उपाय जैसे - अंतर्निहित तिजोरियां, स्ट्रांग रुम, क्लोज सर्किट टी.वी. प्रणाली, सशस्त्र गार्ड, जैसे उपाय अपनाए गए है वहाँ 10% का विशेष छूट की अनुमति दी जा सकती है । ऐसे परिसरों के संबंध में जो छूट के पात्र हैं, में, यदि उपर्युक्त सुरक्षात्मक उपायों में एक से अधिक को अपनाया जाता है तो अधिकतम 15% तक की छूट दी जा सकती है ।

अनुभाग - 2

(ए) अनुभाग 2 के अंतर्गत प्रथम भाग की सामूहिक व्यक्तिगत सीमा पर, अनुभाग 1 के 50% तक, बीमित राशि - 0.40%

(बी) अगले पर अनुभाग 1 की बीमित राशि 0.50% पर 25%

(सी) अगले पर अनुभाग 2 की बीमित राशि 0.70% पर 25%

अनुभाग 3 : इस अनुभाग के अंतर्गत सामूहिक बीमा राशि 1%

अनुभाग 4 : इस अनुभाग के अंतर्गत बीमित राशि पर 0.20%

केवल 0.20 प्रति मिली. के अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर, अनुभाग 4 और 1 के अंतर्गत भूकंप सहित आतंकवाद आवरण का विस्तारण प्रदान किया जा सकता है ।

12.36% सेवा कर अतिरिक्त भुगतान करना होगा ।

अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीक के
न्यू इंडिया एश्योरंस कं. लि. के कार्यालय से संपर्क करें ।

कानूनी व्याख्या के लिए अंग्रेजी अवतरण मान्य होगा ।

"बीमा आग्रह की विषय वस्तु है"

(b) If required by the insured, cover for Earthquake/FST insurance may be included in the policy at an additional premium as per Fire Tariff.

(c) Coverage under this policy for Sections IV and I only without any coverage under Sections II and III, if required by the proposer, may be considered.

(d) If claim ratio is favourable appropriate discount may be given as no claim discount.

2. Rating

The current prem. structure under market agreement is as under :

Section I

Sum Insured	Class I	Class II	Class III
(a) Up to Rs.1 Crore	0.25%	0.35%	0.50%
(b) Above Rs.1 Cr. Up to Rs.5 Cr. (on the excess over Rs.25 lakhs)	0.20%	0.30%	0.45%
(c) Above Rs.5 Cr. On the excess over Rs.50 lakhs)	0.175%	0.275%	0.425%
(d) On the excess over Rs.10 Cr.	0.15%	0.25%	0.40%

Class I means : Watchman employed for 24 hours at all the listed premises.

Class II means : Common watchman for the building or night watchman.

Class III means : All others.

NB : Special discount of 10% may be allowed only in respect of those premises where special protective device or special security measures are adopted, e.g. built in vaults, strong rooms, closed circuit. T.V. systems, armed guard. In the event of the insured having more than one of the named protective devices or security measures a maximum discount of 15% may be allowed in respect of such premises only which are eligible for the discount.

Section II

(a) On the first part of the aggregate of the individual limits under Section II, upto 50% of Section I sum insured – 0.40%

(b) On the next 25% of Sec. I sum insured – 0.50%

(c) On the next 25% of Sec. II sum insured – 0.70%

Section III : 1% on aggregate sum insured under this section.

Section IV : 0.20% on the sum insured under this section.

Extension of Terrorist cover together with earthquake is given under Section IV & I only at an additional premium of 0.20 per mille.

Service Tax 12.36% is payable extra.

For further details contact your nearst NIA Office.

For legal interpretation English version will hold good.

"Insurance Is the subject matter of Solicitation"

दि न्यू इंडिया एश्योरंस कं. लि. सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा अनुभवी गैर जीवन बीमा कंपनी है, जिसके 1100 प्रचालन कार्यालय हैं और भारत की समस्त कंपनियों की अग्रणी इस कंपनी ने विविध उत्पादों की लंबी सूची के साथ ही भारत की पहली एयर लाइन से लेकर उपग्रह तक का बीमा किया है और इसका प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है ।

The New India Assurance Co. Ltd. is the largest and the oldest non-life insurance company with more than 1100 operating offices and is a pioneer among Indian Companies, insuring the first domestic air-line to satellite with an array of products and having its Head Office at Mumbai.

हम **मोटर, अग्नि,**
समुद्रपारीय मेडीक्लेम, जनता व्यक्तिगत दुर्घटना
और अन्य बहुत से क्षेत्रों का भी बीमा करते हैं ।

We also insure risks relating to
MOTOR, FIRE,
OVERSEAS MEDICLAIM, JANATA
PERSONAL ACCIDENT and a lot more.

अग्रणी कंपनी का आश्वासन
ASSURANCE OF THE LEADER

दि न्यू इन्डिया एश्योरंस कंपनी लिमिटेड
THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD.
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन / Wholly owned by the Govt. of India)
भारत की अग्रणी गैर-जीवन बीमा कंपनी
India's Premier Non-Life Insurance Company

एजेंसी विभाग
मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय - I
न्यू इन्डिया भवन, 34/38, बैंक स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 023.
Agency Cell
Mumbai Regional Office - I
New India Bhavan, 34/38, Bank Street, Fort, Mumbai - 400 023.
(आई.आर.डी.ए. पंजीकरण संख्या / IRDA Registration No. : 190)
CIN No. : U99999 MH1919 GOI 000526
Website : www.newindia.co.in

Vaikunth Prints
vaikunth_p2009@yahoo.in

जोहरियों के लिए संपूर्ण
सुरक्षा
Overall
SURAKSHA
for Jewellers

हम जोहरियों
की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं
We ensure that
Jewellers is Secured

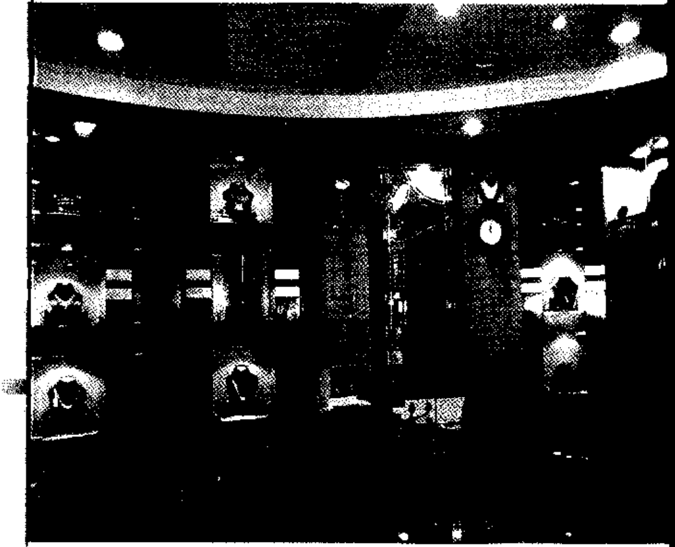

दि न्यू इन्डिया एश्योरंस कंपनी लिमिटेड
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)
भारत की अग्रणी गैर-जीवन बीमा कंपनी
THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD.
(Wholly owned by the Govt. of India)
India's Premier Non-Life Insurance Company

जोहरियों का ब्लॉक बीमा

यह व्यापार कर रहे जोहरियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक विशिष्ट पैकेज पॉलिसी है ।

इस वर्ग में नैतिकता का जोखिम बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है । उच्च निष्ठा और अच्छी साख के लिए लोकप्रिय प्रस्तावकों को, क्षेत्रीय कार्यालय की अनुमति से स्वीकार किया जाता है ।

जैसा कि बीमा लेखन में पिछले इतिहास का महत्व होता है अत: दावा इतिहास, सुरक्षा तथ्यों की जानकारी के लिए प्रस्ताव प्रपत्र की सावधानी पूर्ण जाँच आवश्यक है । पहले वर्ष में जोहरी का कार्य शुरु करने वाले का प्रस्ताव एक खराब जोखिम है ।

प्रस्ताव प्रपत्र बहुत विस्तृत होता है क्योंकि व्यापार सोना और जेवरों जैसी मूल्यवान वस्तुओं से संबंधित है । और जोखिम की सुरक्षा का तत्व बहुत महत्वपूर्ण है । प्रस्ताव प्रपत्र के प्रश्न संख्या 3 के उत्तर की जांच ध्यान से करनी चाहिए । यह प्रश्न मुख्य रुप से तिजोरी, रात्रि में परिसर का उपयोग, रात के समय चौकीदार, सेंधमारी के खतरे की घंटी इत्यादि से संबंधित है । परिसर पर जोखिम, संपत्ति जब सुनार, दलाल, एजेंटों, कटर, पार्टनर और कर्मचारियों के कब्जे में हो तो बाहरी जोखिम, जिसमें अभिवहन जोखिम भी शामिल है, जिनके लिए पृथक सीमाएं (बीमित राशि) प्रदान की गई है । परिसर में फर्नीचर, फिक्चर एवं फिटिंग के लिए अलग से मद रखा गया है । प्रस्तावक को प्रश्न संख्या 8 का उत्तर बहुत स्पष्टता से, बीमा का पूर्ण मूल्य का विवरण देते हुए, आवश्यक रुप से देना है । मूल्यांकन का आधार बीमित लागत और उसके ऊपर 10% है ।

1. आवरण का प्रसार

पॉलिसी द्वारा प्रदत्त आवरण को निम्न अनुसार 4 अनुभागों में बांटा गया है :

अनुभाग - 1 :

यह अनुभाग, संपत्ति के नुकसान या क्षति को, जहाँ बीमाधारक का व्यापार होता है उस परिसर अथवा जहाँ बीमाधारक की संपत्ति जमा है उस परिसर में सारणी में उल्लिखित के अनुसार केवल अग्नि, विस्फोटन, तड़ित, सेंधमारी, चोरी, उठाईगिरी, डकैती (बंधक बनाकर) तथा दंगा और हड़ताल क्षति को आवरित करता है । रु. 0.03 प्रति मिलि. के अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर आतंकवाद आवरण दिया जा सकता है । क्षतिपूर्ति सीमा (बीमा राशि) अलग से दिखाया गया है ।

(क) परिसर पर बीमित संपत्ति :

(1) प्रदर्शन खिड़की में प्रदर्शित संपत्ति

(2) परिसर में तिजोरी में तालाबंद संपत्ति

(3) परिसर में कहीं दूसरी जगह पर

(ख) नकद और नकदी :

(1) बैंक लॉकर्स

(2) प्राईवेट लॉकर्स (सभी लॉकर्स के पते की आवश्यकता है) बशर्ते कि बीमाधारक सभी जमाओं, लॉकरों से निकासी के रिकॉर्ड अलग रजिस्टर में रखता हो ।

बीमित संपत्ति को ''व्यापार में स्टॉक'' के रुप में परिभाषित किया गया है जिसमें जेवर, सोने व चांदी के जेवर, मोती, कीमती पत्थर, नकद, नकदी इत्यादि शामिल है । जो बीमाधारक के व्यापार से संबंधित है, जो उसके हैं अथवा विश्वास पर घरोहर अथवा कमीशन पर रखे हैं जिसके लिए बीमाधारक ही जिम्मेदार है ।

JEWELLERS BLOCK INSURANCE

This is a special package policy devised to meet the various insurance requirements of jewelers pursuing their business.

Moral hazard is of considerable importance in this class of business. Proposers who are known for their integrity, good reputation may be accepted with the permission of R.O.

A careful scrutiny of the proposal form is also necessary in order to know the claim history, security factors, since earlier history has bearing on underwriting; a proposal of jeweler operating for the 1st year is a bad risk.

The proposal form is a detailed one. Since the business relates to valuable items like gold and jewellery, the security factors of the risk assume considerable importance. Answers to question 3 of the proposal form should be carefully scruitinsed. The question relates on particulars of safe, occupancy at night, night watchman, burglar alarm system, etc. Separate limits (sums insured) are provided for risks on the premises, outdoor risk when the property is in the custody of gold smiths, brokers, agents, cutters, partners and employee, including transit risks. There is separate item for furniture fixtures and fittings at the premises. The proposer has to complete question No.8 very clearly, giving full values of insurance. The basis of valuation shall be the insured cost plus 10% thereof.

1. Scope of Cover

The cover accorded by the policy is divided into 4 sections as under :

Section – I :

This section covers loss of or damage to property, whilst contained in the premises where the insured's business is carried on or at other premises where the insured's property is deposited as specified in the Schedule by Fire, Explosion, Lightning, Burglary, House-breaking, theft, hold-up, Robbery and Riot and strike damage only. Terrorism also becomes part of cover at an additional premium of Rs.0.03 per mille. Limits of indemnity (i.e. Sum insured) are shown separately for :

(A) Property insured on the premises :

(1) Property in display windows

(2) Property in locked safe on the premises

(3) Elsewhere in the premises

(B) Cash and currency notes :

(1) Bank Lockers

(2) Private Lockers (Address of all Lockers required) subject to insured maintaining separate register to record all deposits, withdrawal in such lockers.

The property insured is defined as stock in trade consisting of jewellery, gold and silver ornaments, pearls, precious stones, cash, currency notes, etc. usual to the conduct of the insured's business, belonging to him or held in trust or on commission for **which he is responsible.**

आवरण इस वारंटी के अधीन है कि सारणी में उल्लिखित परिसर में सभी स्टॉक रात के समय और व्यापार समय के अतिरिक्त हमेशा एक ''सेंधमारी से सुरक्षित'' तिजोरी में तालाबंद सुरक्षित रहेगा ।

अनुभाग - 2

सारणी के अनुभाग 2 के मद संख्या (ए) और (बी) के अंतर्गत बीमित संपत्ति की हानि या क्षति, जो संपत्ति बीमाधारक के व्यापार के संबंध में उल्लिखित परिसर से, यहाँ नीचे दिए गए कारणों को छोड़कर, किसी भी कारण से ले जाई जाती है ।

बीमाधारक द्वारा (नकद और नकदी नोटों को छोड़कर) बीमा कराई गई संपत्ति जो ब्रोकर अथवा एजेंटों अथवा कटर अथवा सुनारों अथवा हीरा छटाई करने वाले, ऐसे लोग जो बीमाधारक के पास निरंतर नियुक्त नहीं हैं, के कब्जे में हो । यह बीमाधारक द्वारा प्रत्यक्ष रुप से दी गई हो अथवा अन्यथा बशर्ते कि इस प्रकार सौंपे जाने से दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध हों ।

अनुभाग - 3

यह अनुभाग बीमाधारक की निम्नलिखित द्वारा मार्गस्थ संपत्ति को (नकद तथा नकदी नोटों को छोड़कर) केवल भारत में आवरण प्रदान करता है ।

(क) पंजीकृत बीमित पोस्ट पार्सल जिसकी सीमा रु. 5 लाख या अनुभाग 1 के अंदर बीमित राशि के 10% हो, जो भी कम हो ।

(ख) वायुयान मार्ग (20% मूल्य एयरलाइन को घोषित होना चाहिए और उसे एअर वे बिल में शामिल किया जाना चाहिए) ।

(ग) आंगड़िया (उत्तर भारत की कुरियर सेवा शामिल नहीं है) ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य माध्यमों से परिवहन को आवरित किया जाता है । नकद तथा नकदी नोटों को छोड़कर, अनुभाग 1, 2 और 3 के संबंधित संपत्ति के मूल्यांकन का आधार बीमाधारक की लागत और उसके ऊपर 10% होगी ।

टिप्पणी : 1) अनुभाग 2 और 3 अंतर्गत बीमित राशि अनुभाग 1 की बीमित राशि के 25% से अधिक नहीं होगी ।

2) अनुभाग 1, 2 और 3 के अंतर्गत जोखिम के मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए भी अनुभाग 2 और 3 पर औसत की शर्त लागू होगी ।

3) आरोपित की जानेवाली वारंटी - यह वारंटी दी जाती है कि सारणी में उल्लिखित परिसर में नकद और नकदी नोट सहित सभी संपत्ति व्यापार के समय के अतिरिक्त सभी समय एक मानक स्तर से निर्मित तिजोरी में तालाबंद रहेंगे । यह भी वारंटी दी जाती है कि यदि नंबर वाली तिजोरी का उपयोग किया जाता है तो तिजोरी के नंबर की जानकारी व उपयोग साझीदार / निदेशकों तथा नामित कर्मचारी श्री/ श्रीमती - तथा श्री/ श्रीमती - द्वारा पॉलिसी की चालू अवधि के दौरान किया जाएगा ।

अनुभाग - 4

यह अनुभाग ऑफिस के फर्नीचर, फिटिंग, फिक्स्चर को क्षति/हानि के लिए आवरण प्रदान करता है जब कि यह बीमाधारक के व्यापार से संबंधित हो और बीमाधारक के व्यापार परिसर में रखे गए हों यह आवरण केवल, विस्फोटन, तड़ित, सेंधमारी, गृहवेधन, चोरी, होल्ड अप डकैती तथा दंगा व हड़ताल से हुई हानि/ क्षति के लिए सुरक्षा आवरण देता है ।

टिप्पणियाँ :

(ए) सभी दरों में दंगा तथा हड़ताल जोखिम शामिल है ।

The cover is subject to the warranty that all stocks whilst at the premises specified in the schedule shall be secured in locked burglar proof safe at night and at all times out of business hours.

Section – II

Loss of or damage to property insured under items (a) and (b) of Section II of the schedule and carried and conveyed outside the specified premises for the purpose of insured's business by any cause whatsoever except as herein after provided.

Property insured by the insured excluding cash and currency notes whilst in the custody of brokers or agents or cutters or cutters or goldsmiths or sorters of diamonds not in regular employment of the insured, whether directly entrusted by the insured or otherwise subject to appropriate documentary evidence being available relating to such entrustment.

Section – III

This section covers insured property (excluding cash and currency notes) whilst in transit within India by :

(a) Registered Insured Post Parcel not exceeding the limit of Rs.5 Lakhs or 10% of the sum insured under Section I, whichever is less

(b) Airfreight (20% value should be declared to the Airline and included in the Airway Bill)

(c) Angadia (Courier Service in North is not covered).

Transit by means other than above are covered, Basis of valuation for property other than cash or currency notes in respect of Section I, II and III shall be the insured's cost plus 10% thereof.

Note : 1) S.I. under Sec. II & III each should not exceed 25% of sum insured under Sec. I.

2) The condition of average would be applicable to Sec. II & III also after taking value of risk in to consideration under Sec. I, II & III.

3) Warranty to be imposed – warranted that all property including cash & currency note whilst at the premises specified in the schedule shall be in locked safe of standard make at all times out of business hours. It is further warranted that if numerical safe is used for storage, then combination number of safe shall be known & used by partners/ directors & nominated employees, Mr./Mrs. - & Mr./Mrs. – at all times during the currency of the policy.

Section – IV

This section covers loss/damage to office furniture, fittings being used in connection with the insured's business whilst contained in the premises where the insured's business is carried out caused by fire, Explosion, Lightning, Burglary, Housebreaking, Theft, Hold-up, Robbery and Riot & Strike damage only.

Notes :

(a) All the rates are inclusive of Riot & Strike damage risks.